संख्या-89/2024/998/सैंतीस-2-2024/001-1(15)/11टीसी2

प्रेषक,

अमरनाथ उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-14 मई, 2024

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अधीन पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (60 प्रति0के0पो0) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-15/सा0-1/एक्स-84/एमवीयू-ईएसवीएचडी/2024-25, दिनांक-16.04.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अधीन निम्नलिखित लेखाशीर्षक/मानक मदों में कुल रू0-35.71 लाख (रूपये पैंतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र) (केन्द्रांश रू0-22.03 लाख+राज्यांश रू0-13.68 लाख) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

लेखाशीर्षक/मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0114-पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)	
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00
42-अन्य व्यय	5.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	12.03
योग-	**22.03**
2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश-8914-पशु चिकित्सालयों/पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.33
42-अन्य व्यय	3.33
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.02
योग-	**13.68**
महायोग-	**35.71**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(रूपये पैंतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)

नियम व शर्ते /प्रतिबन्धों

(1) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेश/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(4) इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक-18.03.2024 एवं अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(6) इस योजना में स्वीकृत धनराशि का अन्य संचालित योजनाओं के मदों में व्यय हेतु जारी स्वीकृतियों से द्विरावृत्ति न हो।

(7) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(10) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04.03.2024 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2403007890114 (पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.))

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	083	2403007890114 पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा	15 गाड़ियों का अनुरक्षण	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.)	और पेट्रोल आदि की खरीद	
2	083	2403007890114 पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.)	42 अन्य व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
3	083	2403007890114 पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	12,03,000 (रुपये बारह लाख तीन हजार मात्र)
	कुल			**22,03,000 (रुपये बाईस लाख तीन हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2403007898914 (पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	083	2403007898914 पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
2	083	2403007898914 पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	42 अन्य व्यय	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
3	083	2403007898914 पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7,02,000 (रुपये सात लाख दो हजार मात्र)
	कुल			**13,68,000 (रुपये तेरह लाख अड़सठ हजार मात्र)**

महायोग	35,71,000 (रुपये पैंतीस लाख इकहत्तर हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-30-X-2024-25, दिनांक-13 मई, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भवदीय,

(अमरनाथ उपाध्याय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-89/2024/998(1)/सैंतीस-2-2024/001-1(15)/11टीसी2, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।